

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 31/03/23

क्रमांक रीडर/2023/1150

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गोमीदेवी पत्नी राणसिंह 2 भूपालसिंह
3 खीरसिंह 4 बाबूसिंह पिसरान राणसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 गेमरसिंह पुत्र उतमसिंह वगैराह जाति
राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 81/2023

दिनांक- 29/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बालेरा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 413/112 रकबा 2.8652 हैक्टर व खसरा संख्या 414/112 रकबा 9.7124 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 31/03/23

क्रमांक :- रीडर/2023/1151-54

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाई पूर्ण करावें।
3. गोमीदेवी पत्नी राणसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गेमरसिंह पुत्र उतमसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर